

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

II संकल्प II

विषय:— केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बेगूसराय जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रु० 1,32,84,73,000/- (एक सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना निधि में कुल रु० 26,20,00,00,000/- (छब्बीस सौ बीस करोड़ मात्र) की राशि आवंटित किया जाना है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जाना है तथा केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

2. जलापूर्ति जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण, पार्क विकास राज्य के सभी नगर निकायों में जबकि सिवरेज एवं सेप्टेज पुराने 27 अमृत शहरों में कार्यान्वित की जायेगी। पूर्व में कार्यान्वित की जा रही अमृत योजना, पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार वित्त पोषित होता रहेगा।

योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्स कमिटी, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (स्टेट हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमिटी-एस०एच०पी०एस०सी०) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (स्टेट लेवल टेक्नीकल कमिटी-एस०एल०टी०सी०) के गठन किये जाने का प्रावधान है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति/सिवरेज/पार्क/जल स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 8481.138 करोड़ (आठ हजार चार सौ ईक्यासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु० मात्र) के अनुमानित मूल्य पर सिटी वाटर ऐक्सन प्लान तैयार किया गया है। इसमें केन्द्रांश रुपये 2619.768 करोड़, राज्यांश (एस०एस०+यू०एल०बी०) रुपये 5838.369 करोड़ एवं 15वाँ वित्त आयोग की राशि रुपये 23.00 करोड़ शामिल है। 64 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तैयार किये गये सिटी वाटर ऐक्सन प्लान का प्रस्ताव स्टेट हाई पावर्ड स्टेयरिंग कमिटी के समक्ष रखा गया, जिसपर समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) द्वारा दिनांक-12.09.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरांत अपेक्स कमिटी द्वारा दिनांक-25.09.2023 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि 400.00 करोड़ तथा इसके

अनुपातिक राज्यांश की राशि रुपये 800.00 करोड़ अर्थात् कुल राशि 1200.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।

3. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत बेगूसराय जलापूर्ति योजना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक-20.12.2024 में अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही बुडको के पत्रांक 64 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अमृत योजनान्तर्गत आच्छादित एवं अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित वार्डों एवं घरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त परियोजना की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ रु०)			
क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम विवरणी	प्राक्कलित राशि	SLTC द्वारा अनुमोदित राशि
01	बेगूसराय जलापूर्ति योजना के 24178 गृह जल संयोजन हेतु 5 ट्यूबवेल, 5 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 3 ऑयरन रिमूवल प्लांट, 3 ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर, 3 जलमिनार, 3 जलमिनार कैम्पस, 4.15 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 178 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क	132.8473	कुल रु० 132.8473 केन्द्रांश-40.1622 राज्यांश-92.6851
कुल राशि		132.8473	132.8473

(एक सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार रु०)

4. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन की समय सीमा:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) को वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाना है। केन्द्र प्रायोजित अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत परियोजना मद से राशि का व्यय किया जायेगा। शहरों की आबादी के अनुरूप अमृत-2.0 योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी निम्नवत् है:-

(क) 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुमोदन के रूप में परियोजना लागत का 25% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 75% राज्य सरकार को वहन करना होगा।

(ख) एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा जबकि दो तिहाई राज्य सरकार को वहन करना होगा।

(ग) एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के परियोजना लागत का 50% राशि भारत सरकार द्वारा जबकि 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा।

बेगूसराय जलापूर्ति योजना में कुल राशि 1,32,84,73,000/—रु० (एक सौ बत्तीस करोड़ चौड़ासी लाख तिहत्तर हजार रु०) का व्यय संभावित है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	योजना की राशि (राशि करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
01	2024-25	60.00	60.00
02	2025-26	72.8473	72.8473
कुल राशि		132.8473	132.8473

5. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बेगूसराय जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रु० 1,32,84,73,000/—(एक सौ बत्तीस करोड़ चौड़ासी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-04.02.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या- 19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/-
(अमय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-16/2024

/न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी०डी० संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-16/2024 1597 /न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-11/02/25

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/निदेशक, AMRUT, भारत सरकार/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई-मेल करने/टीम लीडर, PDMC-AMRUT 2.0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/2/25
सरकार के सचिव।